तारीख हुक्म	हुक्म	
17.10.23	पत्रावली पेश हुई. उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 4877 व 4944 कुल किता 02 कुल रकबा 4.7297 हैक्टेयर भूमि मे आने-जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 4878 रकबा 0.4932 हैक्टेयर बिलानाम भूमि मे से नजरी नक्शे मे दर्शित मार्क ए से बी मे 30 फीट उत्तर दिशा नहर के सहारे-सहारे रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की। जब कि विपक्षी ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट पर अध्ययन किया, मनन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अत: :: आदेश :: प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजियात ग्राम बागोर व पटवार हल्का बागोर व तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित हाल आराजी नम्बर 4877 व 4944 कुल किता 02 रकबा कुल 4.7297 हैक्टेयर भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज नही है, एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु अप्रार्थी (विपक्षी) की बिलानाम आराजी नम्बर 4878 रकबा 0.4932 हैक्टेयर भूमि मे से 20 फीट चौड़ाई	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का रास्ता उत्तरी दिशा मे नहर के सहारे-सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा मे नजरी नक्शे अनुसार A से B मार्क अनुसार रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है। 20 फीट चौड़ाई के रास्ते मे काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थी (विपक्षी) को भुगतान करे। अप्रार्थी (विपक्षी) की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। तहसीलदार माण्डल को निर्णय की पालना भिजवाते हुए लिखा जावे। तहरीर जारी की जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा